# अप्रेंटिसशिप/ इंटर्नशिप युक्त डिग्री कार्यक्रम हेतु उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूजीसी के दिशानिर्देश

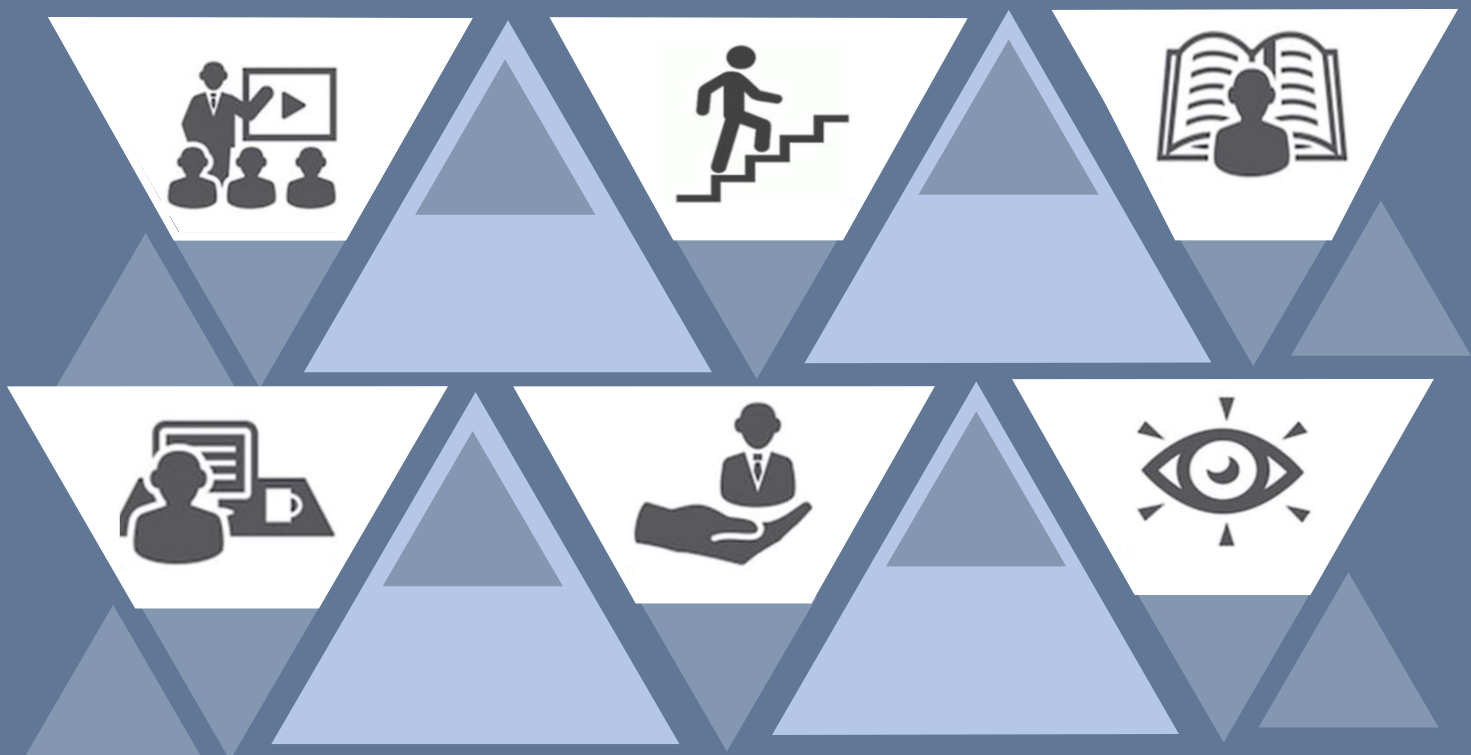


विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली

जुलाई, 2020


सत्यमेव जयते

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

# अप्रेंटिसशिप/ इंटर्नशिप युक्त डिग्री कार्यक्रम हेतु उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूजीसी के दिशानिर्देश

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली

जुलाई, 2020

वेबसाइटः www.ugc.ac.in
© विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
जुलाई, 2020

सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली–110002 द्वारा प्रकाशित।

चंदू प्रेस, डी–97, शकरपुर, दिल्ली–110092, फोन : +919810519841, 011–22526936,
ई–मेलः chandupress@gmail.com द्वारा मुद्रित किया गया।

# प्राक्कथन

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

विश्व में 2030 तक सर्वाधिक कामकाजी आयु की जनसंख्या भारत में होने जा रही है, लेकिन सामान्य पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद रोजगार एक बड़ी चुनौती है। इन विद्यार्थियों के रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने हेतु एक नई दृष्टि की आवश्यकता है जिसमें रोजगारपरक पाठ्यक्रम का समावेश हो। उच्चतर शिक्षा को उद्योग और कार्य की आवश्यकताओं के साथ जोड़ने में अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप की प्रमुख भूमिका होती है। इसे देश के लिए कुशल श्रमशक्ति तैयार करने के सर्वाधिक प्रभावी तरीकों में से एक माना जाता है। यह उद्योग नेतृत्व, अभ्यास उन्मुख और परिणाम आधारित ज्ञान अर्जन प्रदान करता है।

रोजगार क्षमता में सुधार के इस उद्देश्य को पूरा करने और सुदृढ़ उद्योग–शिक्षा संपर्क बनाने का प्रयास करते हुए, यूजीसी ने अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप युक्त डिग्री कार्यक्रम हेतु उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देश उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट किसी स्नातकीय डिग्री कार्यक्रम में अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप कार्यक्रम को सम्मिलित करने का विकल्प प्रदान करेंगे। यह डिग्री कार्यक्रम परिणाम आधारित ज्ञान अर्जन पर ध्यान केंद्रित करेगा और विद्यार्थियों को संभावित रोजगार के लिए व्यावसायिक क्षमतायें अर्जित करने में सक्षम बनाएगा ।

इन दिशानिर्देश को आपसे साझा करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व महसूस हो रहा है और आशा करता हूं कि यह रोजगार और रोजगार क्षमता के अंतर को दूर करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने में मददगार होंगे। मैं प्रोफेसर रजनीश जैन सचिव, यूजीसी, श्री मधु रंजन कुमार, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और डॉ. मंजू सिंह, संयुक्त सचिव, यूजीसी को इन दिशानिर्देशों को तैयार करने के लिए साधुवाद देता हूं।

मैं सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों से आग्रह करता हूँ कि वे विद्यार्थियों के व्यापक हित में अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप युक्त डिग्री कार्यक्रम आरंभ करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

(प्रो. धीरेन्द्र पाल सिंह)
अध्यक्ष
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

24 जुलाई, 2020
नई दिल्ली

# अनुक्रमणिका

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये


| | | |
|---|---|---|
| I. | प्रस्तावना | 5 |
| II. | उद्देश्य | 7 |
| III. | क्षेत्र | |
| | सामान्य प्रावधान | 8 |
| | अवधि | 9 |
| | क्रेडिट तंत्र | 10 |
| | मूल्यांकन | 12 |
| | अध्ययन के परिणाम | 13 |
| IV. | उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका | 14 |
| IV. | उद्योग संघों, एस.एस.सी. और बी.ओ.ए.टी. की भूमिका | 15 |
| VI. | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुवीक्षण | 16 |

# I. प्रस्तावना

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

भारत में 2030 तक दुनिया की सर्वाधिक कामकाजी आयु की जनसंख्या प्रत्याशित है। भारत के इस विलक्षण जनसांख्यिकीय बढ़त का लाभ उठाने के लिए, न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना अनिवार्य है, बल्कि रोजगार परक बनाने की दृष्टि से भी इसे प्रासंगिक बनाना है। सतत विकास लक्ष्यों के साथ, भारत सरकार ने युवाओं को नौकरी–बाजार में पूरी तरह से भाग लेने और रोजगार सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए विभिन्न पहल किए हैं। इसके बावजूद, हमारे विश्वविद्यालयों के अधिकांश उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों के लिए लाभकारी रोजगार एक चुनौती है, विशेष रूप से जब हम सामान्य डिग्री कार्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए इस पर विचार करते हैं, तो उनके लिए रोजगार के सीमित अवसर एक प्रमुख चुनौती बनकर सामने आती है। इसके लिए मुख्य उत्तरदायी कारक है– 'उनका रोजगार योग्य नहीं होना'। इसलिए, 'कक्षा में क्या पढ़ाया जाता है' और 'समाज के लिए क्या आवश्यक है' के बीच के अंतर को कम करने की आवश्यकता है। उद्योग के लिए आवश्यक क्षमता को हमारे विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में जोड़ने की आवश्यकता है ताकि रोजगार तथा रोजगार क्षमता के बीच के अंतर को समाप्त किया जा सके।

शिक्षा प्रणाली को बड़े पैमाने पर समाज की आवश्यकताओं और विशेष रूप से अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना है। इसके अतिरिक्त, भारत में हर वर्ष सामान्य डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की एक बड़ी संख्या को लेकर हितधारकों के बीच आम सहमति है कि 'केवल शैक्षणिक' दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाए। सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम और नियोक्ता की आवश्यकता के बीच न्यूनतम कड़ी, डिग्री कार्यक्रमों को प्रभावी रूप से नवीन आयाम देने की मांग करती है, जो उद्योग और सेवा क्षेत्र की बदलती आवश्यकताओं द्वारा संचालित हो। इस निमित्त विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने हेतु उद्योग–शिक्षा संपर्क के लिए एक सुदृढ़ संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है।

अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप को इस संदर्भ में बड़ी भूमिका निभानी है। विश्व भर में, अप्रेंटिसशिप को वास्तविक कार्य वातावरण को प्रदर्शित करने के लिए सर्वाधिक कुशल और आशाजनक संरचित प्रशिक्षण माना जाता है। इसमें संबंधित विषयों के सैद्धांतिक ज्ञान के साथ कार्य आधारित ज्ञान अर्जन को संयोजित करने की असाधारण क्षमता है। अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप के माध्यम से, विद्यार्थी अपने ज्ञान अर्जन के व्यावहारिक पक्ष जैसे समस्या का समाधान, रचनात्मक सोच, डिजिटल कौशल, टीमवर्क आदि

के साथ सक्रिय रूप से जुड़ सकते हैं। यह अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप अनुभव सामान्य डिग्री कार्यक्रम के विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता में वृद्धि कर उद्योग को अच्छी गुणवत्ता वाली जनशक्ति प्राप्त करने में सहायता करने के अतिरिक्त सतत आधार पर शिक्षा और उद्योग/सेवा क्षेत्रों के बीच बेहतर कार्यात्मक संबंध भी स्थापित करेगा। इस आवश्यकता को महसूस करते हुए, सामान्य डिग्री कार्यक्रम के विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता में सुधार लाने के लिए 2020–21 की बजट घोषणा में अप्रेंटिसशिप युक्त डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम आरंभ करने का प्रावधान किया गया।

अप्रेंटिसशिप अधिनियम और अप्रेंटिसशिप नियम में 2014 से 2019 के दौरान किये गए संशोधनों ने अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम को शिक्षा के साथ जोड़ने की संभावना को खोला है। मौजूदा प्रावधान के तहत गैर इंजीनियरिंग स्नातक बिना किसी पूर्व कौशल प्रशिक्षण के नए गैर स्नातक और पाठ्यक्रम के एकीकृत घटक के रूप में प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थी कम से कम छह महीने से अधिकतम तीन वर्ष तक अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण ले सकते हैं। लचीली पाठ्यक्रम संरचना, परिणाम आधारित अधिगम हेतु नई संभावनाओं को सृजित करेगी और ऐसे शिक्षण परिणामों के संदर्भ में वर्णित स्नातक की डिग्री की सुविधा प्रदान करेगी।

तदनुसार नए स्नातकों को आवश्यक ज्ञान, दक्षता एवं मनोदृष्टि सहित रोजगार के लिए तैयार बनाने के उद्देश्य से, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किये जा रहे सामान्य डिग्री कार्यक्रमों को अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप युक्त करने के लिए अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप युक्त डिग्री कार्यक्रम हेतु उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूजीसी के दिशानिर्देश जारी किये हैं। ये दिशानिर्देश उद्योग और शिक्षा के बीच सहयोग से सामान्य शाखा में अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप युक्त डिग्री कार्यक्रम को संभव बनाएँगे।

# II. उद्देश्य

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

1. अंडर ग्रेजुएट स्तर पर सामान्य डिग्री कार्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों की रोजगार क्षमता में सुधार लाना।

2. डिग्री कार्यक्रमों में परिणाम आधारित ज्ञान अर्जन पर ध्यान देना।

3. उच्चतर शिक्षा प्रणाली और उद्योग, गैर–वाणिज्यिक और वाणिज्यिक उद्यमों/संगठनों के बीच सक्रिय संबंध को प्रोत्साहन देना।

# III. कार्य क्षेत्र

## सामान्य प्रावधान

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 (3) के अधीन निर्दिष्ट कोई भी यूजी डिग्री कार्यक्रम में अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप युक्त करने के लिए पात्र हैं।

2. अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप युक्त डिग्री कार्यक्रम को यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 22 (3) के अधीन यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट यूजी डिग्री कार्यक्रमों के बराबर माना जाएगा।

3. अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप युक्त डिग्री कार्यक्रम से उपाधि प्राप्त विद्यार्थी उस विशिष्ट कार्यक्रम में स्नातकोत्तर में प्रवेश लेने के लिए पात्र होंगे, जिसमें उन्होंने अपनी अंडर ग्रेजुएट (अर्थात स्नातक डिग्री) अर्जित की है और विषय (विषयों) में जिनके लिए उन्होनें अपने अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम के भाग के रूप में (विवरण के लिए पैरा 18 और 19 देखें) मुख्य विषयों में 24 क्रेडिट लिए हैं। ऐसे विद्यार्थियों को ऐसे पाठ्यक्रमों में विषय से परे वर्टिकल परिवर्तनीयता के लिए भी पात्र माना जाएगा जहां एक विशिष्ट विषय में प्रवेश योग्यता विशिष्ट आवश्यकताओं के बिना स्नातक डिग्री है।

4. उच्चतर शैक्षणिक संस्थान सेक्टर कौशल परिषदों, एआईसीटीई, फिक्की, सीआईआई, वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक संगठनों या उद्यमों और उद्योग के परामर्श से अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप युक्त डिग्री कार्यक्रम इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि इन दिशानिर्देशों के संगत हों।

5. अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप युक्त कार्यक्रम एक प्रकार का प्रशिक्षुता प्रदान करेगा जो अपने परिसर में नहीं बल्कि व्यावसायिक या गैर–वाणिज्यिक संगठनों या उद्यमों, या कार्यालयों, या उद्योग, या उद्योग संघों जैसे कार्यस्थल के परिसर में चिन्हित विषय/व्यवसाय में कार्य आधारित ज्ञान अर्जन करने के लिए किया जाएगा।

6. उच्चतर शैक्षणिक संस्थान अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप युक्त डिग्री कार्यक्रम आरंभ करने से पहले अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए विषय विशिष्ट वाणिज्यिक या गैर–वाणिज्यिक संगठनों या उद्यमों, कार्यालयों, उद्योग आदि के साथ पूर्व समझौता–ज्ञापन करेंगे।

7. उच्चतर शैक्षणिक संस्थान सुविधा और अवसंरचना के अनुसार प्रशिक्षुता/इंटर्नशिप प्रशिक्षण के लिए सीटों की संख्या की योजना बना सकते हैं।

# अवधि

8. किसी भी यूजी डिग्री कार्यक्रम में कार्यक्रम की कुल अवधि में परिवर्तन किए बिना डिग्री कार्यक्रम के अंग के रूप में कम से कम एक सेमेस्टर के अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप को युक्त करने का विकल्प होगा।

9. अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप प्रशिक्षण की अवधि संबंधित पाठ्यक्रम की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर नियत की जाएगी।

10. उच्चतर शैक्षणिक संस्थान पाठ्यक्रम अवधि के दौरान अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप के कार्यक्रम में लचीलापन रखेंगे।

11. संबंधित विषय की आवश्यकता और व्यावहारिकता के आधार पर अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप की अवधि या तो निरंतर या अंतराल पर निर्धारित की जाएगी।

# क्रेडिट प्रणाली

12. अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप कार्यक्रम के क्रेडिट को पूरे कार्यक्रम के कुल क्रेडिट में शामिल किया जाएगा।

13. विशेष डिग्री कार्यक्रम के लिए निर्धारित कुल क्रेडिट सीबीसीएस के अनुरूप होगा। तदनुसार, एक विद्यार्थी को स्नातक की डिग्री के अवॉर्ड के लिए 132 क्रेडिट अर्जित करना होगा। उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) में अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप प्रशिक्षण के लिए क्रेडिट उपयुक्त रूप से समायोजित किए जाएं।

14. डिग्री कार्यक्रम के लिए कुल क्रेडिट के न्यूनतम 20% को अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप के लिए नियत किया जाना चाहिए।

15. उच्चतर शैक्षणिक संस्थान कार्यक्रम के अंग के रूप में चलाए गए अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप के लिए शैक्षणिक क्रेडिट देने के लिए स्वयं की प्रणाली विकसित कर सकता है।

16. यदि उच्चतर शैक्षणिक संस्थान अभी भी वार्षिक प्रणाली का पालन कर रहा है तो उसी के अनुसार उपयुक्त प्रावधान आरंभ किए जा सकते हैं। अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप प्रशिक्षण को डिग्री प्रोग्राम के पाठ्यक्रम के बदले के अतिरिक्त, पूरी की गई अप्रेंटिसशिप /इंटर्नशिप की अवधि के अनुसार उपयुक्त वेटेज प्रदान करके लागू किया जा सकता है।

17. अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप प्रशिक्षण को उनके पाठ्यक्रम के विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में सौंपा जाना चाहिए। राष्ट्रीय व्यवसाय मानक (एनओएस) उद्योग द्वारा निर्धारित मानकों के पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या को संरेखित करने के लिए एक दृष्टिकोण हो सकता है। यदि आवश्यक हो तो अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप के क्षेत्र में मूल ज्ञान/प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रासंगिक पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों को आरंभ किया जा सकता है।

18. सीबीसीएस दिशानिर्देशों के अनुसार, जहां भी विश्वविद्यालय को आवश्यकता होती है कि किसी विशेष एमए/एम.एससी/तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए आवेदक को स्नातक स्तर पर एक विशिष्ट विषय का अध्ययन किया होना चाहिए तो यह सुझाव दिया जाता है कि संबंधित विषय में यूजी में प्राप्त 24 क्रेडिट एमए/एमएससी/ तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पर्याप्त माना जा सकता है।

19. तदनुसार, अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप युक्त डिग्री कार्यक्रम में, यदि किसी विद्यार्थी ने मुख्य पाठ्यक्रम के रूप में 24 क्रेडिट प्राप्त किए हैं जो स्नातक स्तर पर सीबीसीएस के एक संबंधित विषय में मुख्य पाठ्यक्रम का भी भाग है, तो विद्यार्थी को एमए/एम. एससी/तकनीकी/व्यावसायिक कार्यक्रम में सीबीसीएस के विषय में प्रवेश के लिए पात्र माना जाएगा, उदाहरणस्वरूप एक विद्यार्थी जिसने अर्थशास्त्र में 24 क्रेडिट के साथ बीबीए (लॉजिस्टिक्स अप्रेंटिसशिप) किया हो तो वह अर्थशास्त्र में एमए/एम. एससी पाठ्यक्रम हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होगा।

20. इसलिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रशिक्षुता/इंटर्नशिप युक्त डिग्री कार्यक्रम में, मुख्य पाठ्यक्रम के रूप में कम से कम 24 क्रेडिट का प्रावधान किया गया हो जो कि सीबीसीएस के तहत भी एक नियमित स्नातक कार्यक्रम का एक भाग हैं अर्थात बीबीए (लॉजिस्टिक्स–अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप) के लिए आवश्यक रूप से एक विषय क्षेत्र जैसे कि बीए (अर्थशास्त्र) या बीए (व्यावसायिक अध्ययन–सामग्री प्रबंधन)– जो सीबीसीएस के पाठ्यक्रम में स्नातक की यूजीसी सूची में हैं, से 24 क्रेडिट (इसके 12 मुख्य पेपर के भीतर) होने चाहिए। इससे एक स्नातकोत्तर कार्यक्रम में विद्यार्थी की ऊर्ध्वाधर (vertical) गतिशीलता सुनिश्चित होगी।

# मूल्यांकन

21. संस्थान व्यावसायिक या गैर–वाणिज्यिक संगठनों या उद्यमों, या कार्यालयों, या उद्योग, या उद्योग संघों, या क्षेत्र कौशल परिषदों के परामर्श से अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप आकलन के लिए किसी भी प्रणाली का विकल्प चुन सकते हैं जहाँ अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप प्रदान करने का प्रस्ताव है। अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत ब्यूरो ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (BOAT) द्वारा संचालित राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (NATS) की सीमा में भी किया जा सकता है।

22. तदनुसार, अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप का मूल्यांकन वाणिज्यिक या गैर–वाणिज्यिक संगठनों या उद्यमों, या कार्यालयों, या उद्योग, या उद्योग संघों, या क्षेत्र कौशल परिषदों द्वारा किया जा सकता है जहां प्रशिक्षुता देने का प्रस्ताव संस्थानों की संकाय द्वारा किया जाता है।

23. छात्रों को सीबीएस के दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जित क्रेडिट के अनुरूप ग्रेड/अंक दिए जा सकते हैं। उन संस्थानों के मामले में जो अभी भी वार्षिक पैटर्न को अपना रहे हैं, छात्रों को अंक दिए जा सकते हैं।

24. छात्रों को अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। असफल/अपूर्ण अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप प्रशिक्षण के लिए परीक्षा में पुनः बैठना अनिवार्य है।

25. अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप पाठ्यक्रम में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त अंकों को सेमेस्टर और अंतिम ग्रेड शीट में प्रतिबिम्बित किया जाएगा।

# अध्ययन के परिणाम

26. पाठ्यक्रम नियोजन और विकास के लिए ज्ञान अर्जन परिणाम पर आधारित दृष्टिकोण का मूलभूत आधार यह है कि उच्चतर शिक्षा योग्यता जैसे कि स्नातक की उपाधि, परिणामों की प्रदर्शित उपलब्धि (ज्ञान, समझ कौशल, दृष्टिकोण और मूल्य निरूपण के संदर्भ में व्यक्त की गई) और शैक्षणिक मानकों की प्रदर्शित उपलब्धि (अध्ययन कार्यक्रम के स्नातकों के लिए अपेक्षित) के आधार पर प्रदान की जाती है।

27. यूजीसी ज्ञान अर्जन परिणाम पर आधारित पाठ्यक्रम रूपरेखा (LOCF) के माध्यम से उच्चतर शैक्षणिक संस्थान द्वारा कार्यक्रम डिजाइन और पाठ्यक्रम तैयार करने में लचीलापन और नवीनता प्रदान करता है।

28. अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप–युक्त डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने वाले उच्चतर शैक्षणिक संस्थान को अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए कार्य क्षेत्र विशिष्ट ज्ञान अर्जन परिणामों का विकास और रखरखाव करना चाहिए।

29. अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप संबंधी सीखने के परिणाम संभावित रोजगार के लिए छात्रों को तैयार करने वाले ज्ञान और क्षमताओं पर केंद्रित होंगें।

30. यह छात्रों को अपने चुने हुए विषय के आवश्यक डोमेन के भीतर कार्य बल हेतु व्यवसायिक क्षमताओं का प्रदर्शन करने में सक्षम करेगा।

# IV. उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की भूमिका

छात्रों को अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप युक्त डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने के लिए उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाता है। उच्चतर शैक्षणिक संस्थान छात्रों को इस कार्यक्रम तथा इसकी योग्यता के बारे में अवगत कराएंगे, ताकि वे अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप युक्त डिग्री कार्यक्रम का चयन करने के लिए प्रेरित हों और इसमें अपनी रुचि दिखाएं। सेक्टर स्किल काउंसिल और/या उद्योग/उद्योग संघों और/या वाणिज्यिक/गैर–व्यावसायिक संगठनों/उद्यमों और/या कार्यालयों के परामर्श से उच्चतर शैक्षणिक संस्थान इन दिशानिर्देशों के अनुरूप अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप युक्त डिग्री कार्यक्रम डिजाइन करेंगे। उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में एक अप्रेंटिसशिप प्रकोष्ठ होगा जिसकी समग्र भूमिका अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप गतिविधियों के लिए एक सुविधा प्रदाता और परामर्शदाता की होगी। संबंधित उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को उनके विधान द्वारा अपेक्षित उनके संबंधित शैक्षणिक/कार्यकारी निकायों से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है। इस कार्यक्रम से उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों को निम्नलिखित लाभ होंगे:

- उद्योग–शिक्षा संपर्क को बढ़ावा देना
- संस्थान की विश्वसनीयता और ब्रांड निर्माण में सुधार
- शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में सुधार
- प्लेसमेंट सेल का परिचालन

# V. उद्योग संघों, एस.एस.सी. और बी.ओ.ए.टी. की भूमिका

- फिक्की, सी.आई.आई., वाणिज्यिक और गैर–वाणिज्यिक संगठन या उद्यम और उद्योग जैसे उद्योग संघ, अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप युक्त डिग्री कार्यक्रम को डिजाइन करने में उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की सहायता करेंगे।

- सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोर्ड (BOAT) अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप के लिए उद्योगों की पहचान करने में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

- एस.एस.सी. और बी.ओ.ए.टी. भी इन दिशानिर्देशों के अनुरूप अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप युक्त डिग्री कार्यक्रम को डिजाइन करने में उच्चतर शैक्षणिक संस्थान की सहायता कर सकते हैं।

# VI. यूजीसी द्वारा निगरानी

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक समर्पित पोर्टल होगा।

- अप्रेंटिसशिप/इंटर्नशिप–युक्त डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों को उपरोक्त पोर्टल पर कार्यक्रम के बारे में विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

सत्यमेव जयते

website: www.ugc.ac.in

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये